न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 143/2018/अपील

1. दयानन्द पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी स्वामी की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज0

1/1 सावित्री देवी पत्नि स्व0 दयानन्द

1/2 रवि पुत्र स्व0 दयानन्द

1/3 कोमल पुत्री स्व0 दयानन्द जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सावित्री देवी पत्नि स्व0 दयानन्द समस्त जाति जाट निवासीगण स्वामी की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 रामकरण पुत्र कुमाराम जाति जाट निवासी स्वामी की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

2 राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.07.2018 मु.न. 02/2018 अनुवानी सरकार बनाम दयानन्द आदि द्वारा न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़

वकील अपीलांट श्री प्रदीप कुमार शर्मा

वकील रेस्पोडेंट श्री नसीर अहमद खान

निर्णय **दिनांकः—10.01.2020**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रामकरण द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ के समक्ष दिनांक 18.06.2018 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम स्वामी की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 157 में कटान का रास्ता है तथा ग्रेवल सड़क है। उक्त रास्ता ग्राम स्वामी की ढाणी से ग्रामबलारा की ओर जाता है। उक्त रास्ता को खसरा नम्बर 155 के खातेदारान शोभाराम कन्हैयालाल, जगदीश एवं दयानन्द पुत्रगण दुलाराम ने रास्ते में तारबंदी कर ढीरा लगाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। जिसे खुलवाये जाने की प्रार्थना है। उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा प्रकरण संख्या 2/2018 सरकार बनाम दयानन्द आदि अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया जाकर अपीलार्थी/गैर सायल को तलब किया गया जिस पर अपीलार्थी द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुने बिना रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांकित 21.07.2018 पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांकित 21.07.2018 बिना किसी कानूनी प्रावधान के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवम राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख नियम 1959) के विपरीत व इनकी अवहेलना कर पारित किया गया है, जिसे किसी भी अवस्था में कायम नहीं रखा जा सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी

लक्ष्मणगढ के यहां धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसका माननीय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का आवेदन दिनांक 05.06.2018 को खारिज कर दिया गया। रेस्पो0 संख्या 1 का उक्त आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज होने के पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा कतई गलत व निराधार प्रार्थना पत्र योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ के समक्ष धारा 251 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत नहीं था। खसरा नम्बर 156 रकबा 0.11 हैक्टर गै0मु0 रास्ता अपीलार्थी की निजी खातेदारी में दर्ज है और निजी खातेदारी पर कानूनन धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू ही नहीं होते है तथा निजी खातेदारी पर धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कानूनन इस प्रकार का ओदश पारित नहीं किया जा सकता। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष पूर्व में प्रकरण संख्या 3/2018 उनवानी रामकरण बनाम शोभाराम आदि अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, इसमें रेस्पो0 संख्या 1 अपने द्वारा किये गये अभिवचनों से पूर्णतया पाबंद है तथा उक्त आवेदन माननीय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा खारिज किया जा चुका है। अधिनिस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ के समक्ष उक्त समस्त साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध होते हुए भी चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 21.07.2018 पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकर की जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांकित 21.07.2018 अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल निर्धारित तारीख पेशी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं जवाब नोटिस पेश किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18.06.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं उसके पश्चात् दिनांक 21.07.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व किसी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये गये एवं विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में मौके की जांच तक नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विवादग्रस्त आराजियात के पड़ौसी खातेदार काश्ताकारों के शपथ पत्र या बयान लिये जाकर मौके की स्थिति की जांच की जाकर विधिवत निर्णय पारित करना उचित रहता। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर सरसरी निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बंध में विवादग्रसत आराजियात की मौके की जांच कर जांच उपरांत खातेदार को सुनवाई का अवसर देते हुए स्वतंत्र गवाहान के बयान आदि लिये जाकर नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/1/20

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर